रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102021-230090 CG-DL-E-01102021-230090

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 568] No. 568] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2021/आश्विन 8, 1943 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2021/ASVINA 8, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 8/2021-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.िन. 693(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 673(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, -

- क. अनुसूची I में 2.5%,-
- (i) क्रमांक 71 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जाएंगी, यथा: -

"71क	1209	इमली के बीज बुवाई के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए";

5569 GI/2021 (1)

- (ii) क्रमांक 138 से 148 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 186 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा: -

"186क	3826	हाई-स्पीड डीजल के साथ सम्मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों को आपूर्ति किए गए
		बायो-डीजल";

- (iv) क्रमांक 187क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 234 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;
- (vi) सूची 1 में, मद संख्या 231 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -
- "(232) पेम्ब्रोलिज़ुमाब (कीट्रूडा)";
- (vii) सूची 3 में, मद संख्या (ख) (2) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -
- "(3) दिव्यांगो द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए रेट्टो फिटमेंट किट";
- ख. अनुसूची II में 6%, -
- (i) क्रम संख्या 80क के सामने, कॉलम (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -
- "बायो-डीजल (हाई-स्पीड डीजल के साथ सम्मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों को आपूर्ति किए गए बायो-डीजल के अलावा)";
- (ii) क्रमांक 122 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;
- (iii) क्रमांक 127 से 132 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा:
- (iv) क्रमांक 201 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्त: स्थापित किया जाएगा; यथा: -

"201क	84, 85 या 94	निम्नलिखित अक्षय ऊर्जा उपकरणों और उनके उत्पादन के पुर्जे लिए भागों
		का अनुसरण उत्पादन: -
		(क) जैव गैस संयंत्र;
		(ख) सौर ऊर्जा आधारित उपकरण;
		(ग) सौर ऊर्जा जनरेटर;
		(घ) पवन मिलें, पवन संचालित बिजली जेनरेटर
		(डब्ल्यूओईजी);
		(ङ) ऊर्जा संयंत्रों / उपकरणों के लिए अपशिष्ट;
		(च) सौर लालटेन / सौर लैंप;
		(छ) महासागरीय तरंगें/ज्वारीय तरंगें ऊर्जा उपकरण/प्लांट;
		(ज) फोटो वोल्टाइक सेल, मॉड्यूल में असेंबल किया गया है या नहीं या
		पैनलों में बना है ।
		स्पष्टीकरण: - यदि इस प्रविष्टि में निर्दिष्ट सामान आपूर्ति किया जाता है, एक
		आपूर्तिकर्ता द्वारा, अन्य सामानों की आपूर्ति के साथ और सेवाएं, जिनमें से
		एक विनिर्दिष्ट कर योग्य सेवा है में उल्लिखित तालिका के क्रमांक 38 की

प्रविष्टि में अधिसूचना संख्या 11/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून,
2017 [जी.एस.आर. 690(अ)], के लिए माल की आपूर्ति का मूल्य इस
प्रविष्टि के उद्देश्यों को ऐसी सभी आपूर्तियों के लिए प्रभारित सकल प्रतिफल
के सत्तर प्रतिशत के रूप में समझा जाएगा और सकल प्रतिफल का शेष तीस
प्रतिशत प्रभारित उक्त कर योग्य सेवा के मूल्य के रूप में समझा जाएगा।";
के सत्तर प्रतिशत के रूप में समझा जाएगा और सकल प्रतिफल का शेष तीस

- (v) क्रमांक 205क से 205ज और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;
- (vi) क्रमांक 232 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;
- ग. अनुसूची III में 9%, -
- (i) क्रमांक 26ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्त: स्थापित की जाएंगी, यथा: -

"26ग	2601	लौह अयस्क और कंसन्ट्रेट्स पेस्टेड, भुना हुआ लौह पाइराइट सहित।
26घ	2602	मैंगनीज अयस्कों और कंसन्ट्रेट्स, फेरुजिनस मैंगनीज अयस्कों सहित और 20% या उससे अधिक की मैंगनीज सामग्री के साथ, सूखे वजन पर गणना की जाती है।
26ङ	2603	कॉपर अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26च	2604	निकल अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26छ	2605	कोबाल्ट अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26ज	2606	एल्युमिनियम अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26lझ	2607	सीसा अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26অ	2608	जिंक अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26ਟ	2609	टिन अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26ਂਡ	2610	क्रोमियम अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।";

(ii) क्रम संख्या 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्त: स्थापित की जाएंगी, यथा: -

"101क	3915	प्लास्टिक के अपशिष्ट, परिंग्स और स्क्रैप।";
-------	------	---

(iii) क्रमांक 153क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"153क	4819	कागज के कार्टन, बॉक्स, केस, बैग और अन्य पैकिंग कंटेनर, पेपरबोर्ड, सेल्युलोज वैडिंग या
		सेल्यूलोज फाइबर के वेब्स; कार्यालयों, दुकानों या इसी तरह के एक तरह के कागज या
		पेपरबोर्ड की बॉक्स फाइलें, लेटर ट्रे और इसी तरह की वस्तुएं।";

(iv) क्रम संख्या 157 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां को अन्त: स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"157क	4906 00 00	वास्तुकला, इंजीनियरिंग, औद्योगिक, वाणिज्यिक, स्थलाकृतिक या इसी तरह के उद्देश्यों के लिए योजनाएं और चित्रकारी, मूल रूप से हाथ से तैयार किए गए हैं; हस्तलिखित ग्रंथ; संवेदनशील कागज पर फोटोग्राफिक प्रतिकृतियां और पूर्वगामी की कार्बन प्रतियां।
157ख	4907	अप्रयुक्त डाक, राजस्व या देश में मौजूदा या नए मुद्दे के समान टिकट जिसमें उनके पास एक मान्यता प्राप्त अंकित मूल्य है, या होगा; स्टाम्प- प्रभावित कागज; बैंकनोट; जाँच; स्टॉक, शेयर या बांड प्रमाण पत्र और शीर्षक के समान दस्तावेज (ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स के अलावा)।
157ग	4908	स्थानान्तरण (डिकैल्कोमेनिया)।
157घ	4909	मुद्रित या सचित्र पोस्टकार्ड; व्यक्तिगत अभिवादन, संदेश या घोषणाओं वाले मुद्रित कार्ड, चाहे लिफ़ाफ़े या ट्रिमिंग के साथ या बिना सचित्र हों।
157ड़	4910	कैलेंडर ब्लॉक सहित किसी भी प्रकार के कैलेंडर मुद्रित।
157च	4911	मुद्रित चित्रों और तस्वीरों सिहत अन्य मुद्रित सामग्री; जैसे व्यापार विज्ञापन सामग्री, वाणिज्यिक कैटलॉग और जैसे, मुद्रित पोस्टर, वाणिज्यिक कैटलॉग, मुद्रित इनले कार्ड, चित्र, डिज़ाइनऔर फोटोग्राफ, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, औद्योगिक, वाणिज्यिक, स्थलाकृतिक या इसी तरह के उद्देश्यों के लिए योजना और चित्रकारी कंप्यूटर की सहायता से पुन: प्रस्तुत किए जाते हैं या कोई अन्य उपकरण।";

(v) क्रम संख्या 398 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां को अन्त: स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"398क	8601	बिजली के बाहरी स्रोत से या विद्युत संचायकों द्वारा संचालित रेल लोकोमोटिव।
398ख	8602	अन्य रेल इंजन; लोकोमोटिव निविदाएं; जैसे डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, स्टीम लोकोमोटिव और उसके टेंडर।
398ग	8603	स्व-चालित रेलवे या ट्रामवे कोच, वैन और ट्रक, शीर्ष 8604 के अलावा अन्य।
398घ	8604	रेलवे या ट्रामवे रखरखाव या सेवा वाहन, स्व-चालित या गैर-स्वचालित (उदाहरण के लिए, कार्यशालाएं, क्रेन, गिट्टी टैम्पर, ट्रैक लाइनर, परीक्षण कोच और ट्रैक निरीक्षण वाहन)।
398ਫ਼	8605	रेलवे या ट्रामवे यात्री डिब्बे, स्व-चालित नहीं; लगेज वैन, पोस्ट ऑफिस कोच और अन्य विशेष प्रयोजन रेलवे या ट्रामवे कोच, स्व-चालित नहीं (शीर्षक 8604 को छोड़कर)।
398च	8606	रेलवे या ट्रामवे माल वैन और वैगन, स्व-चालित नहीं।
398छ	8607	रेलवे या ट्रामवे लोकोमोटिव या रोलिंग स्टॉक के हिस्से; जैसे बोगी, बिसेल-बोगी, एक्सल और पहिए, और उसके पुर्जे।
398ज	8608	रेलवे या ट्रामवे ट्रैक जुड़नार और फिटिंग; रेलवे, ट्रामवे, सड़कों, अंतर्देशीय जलमार्ग, पार्किंग सुविधाओं, बंदरगाह प्रतिष्ठानों या हवाई क्षेत्रों के लिए यांत्रिक (इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सहित) सिग्नलिंग, सुरक्षा या यातायात नियंत्रण उपकरण; पूर्वगामी के हिस्से।";

- (vi) क्रम संख्या 447 के सामने, कॉलम (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "बॉल प्वाइंट पेन; फेल्ट टिप्ड और अन्य पोरस-टिप्ड पेन और मार्कर; फाउंटेन पेन, स्टाइलोग्राफ पेन और अन्य पेन; डुप्लिकेटिंग स्टाइलेस; पेन धारक, पेंसिल धारक और समान धारक; पूर्वगामी लेखों के भाग (कैप और क्लिप सहित), शीर्ष 9609 के अलावा अन्य", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- घ. अनुसूची IV में 14%, -
- (i) क्रमांक 12क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां को अन्त: स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"12ख	2202	फल रस का कार्बोनेटेड बिवरेज या फल रस युक्त कार्बोनेटेड बिवरेज ";
------	------	--

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2021 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/206/2021-टी.आर.यू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.िन. 673(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-॥, खंड-3, उप-खंड(i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 01/2021-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 2 जून, 2021, जिसे सा.का.िन. 374(अ), दिनांक 2 जून, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-॥, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 8/2021-Central Tax (Rate)

G.S.R. 693(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and subsection (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E)., dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (a) in Schedule I 2.5%, -
- (i) after S. No. 71 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"71A	1209	Tamarind seeds meant for any use other than sowing";

- (ii) S. Nos. 138 to 148 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iii) after S. No. 186 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"186A	3826	Bio-diesel supplied to Oil Marketing Companies for blending with High Speed Diesel";
		speed Dieser,

- (iv) S. No. 187A and the entries relating thereto shall be omitted;
- (v) S. No. 234 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (vi) in List 1, after item number 231 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -
- "(232) Pembrolizumab (Keytruda)";
- (vii) in List 3, after item number (B) (2) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -
- "(3) Retro fitment kits for vehicles used by the disabled";
- (b) in Schedule II -6%, -
- (i) against S. No. 80A, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -
- "Bio-diesel (other than bio-diesel supplied to Oil Marketing Companies for blending with High Speed Diesel)";
- (ii) S. No. 122 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iii) S. Nos. 127 to 132 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iv) after S. No. 201 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"201A	84, 85 or 94	manufacture:- (a) Bio-gas plant; (b) Solar power based devices; (c) Solar power generator; (d) Wind mills, Wind Operated Electricity Generator (WOEG); (e) Waste to energy plants / devices; (f) Solar lantern / solar lamp; (g) Ocean waves/tidal waves energy devices/plants; (h) Photo voltaic cells, whether or not assembled in modules	
		or made up into panels. Explanation:- If the goods specified in this entry are supplied, by a supplier, along with supplies of other goods and services, one of which being a taxable service specified in the entry at S. No. 38 of the Table mentioned in the notification No. 11/2017-Central Tax (Rate), dated 28 th June, 2017 [G.S.R. 690(E)], the value of supply of goods for the purposes of this entry shall be deemed as seventy per cent. of the gross consideration charged for all such supplies, and the remaining thirty per cent. of the gross consideration charged shall be deemed as value of the said taxable service.";	

- (v) S. Nos. 205A to 205H and the entries relating thereto shall be omitted;
- (vi) S. No. 232 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (c) in Schedule III -9%, -
- (i) after S. No. 26B and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"26C	2601	Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites.	
26D	2602	Manganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more, calculated on the dry weight.	
26E	2603	Copper ores and concentrates.	

26F	2604	Nickel ores and concentrates.
26G	2605	Cobalt ores and concentrates.
26H	2606	Aluminium ores and concentrates.
26I	2607	Lead ores and concentrates.
26J	2608	Zinc ores and concentrates.
26K	2609	Tin ores and concentrates.
26L	2610	Chromium ores and concentrates.";

(ii) after S. No. 101 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"101A	Waste, Parings and Scrap, of Plastics.";	3915
-------	--	------

(iii) for S. No. 153A and the entries relating thereto, the following S. No. and the entries shall be substituted, namely: -

"153	A.	4819	Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, paperboard,		
			cellulose wadding or webs of cellulose fibres; box files, letter trays, and similar		
			articles, of paper or paperboard of a kind used in offices, shops or the like.";		

(iv) after S. No. 157 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"157A.	4906 00 00	Plans and drawings for architectural, engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes, being originals drawn by hand; hand-written texts; photographic reproductions on sensitised paper and carbon copies of the foregoing.			
157B.	4907	Unused postage, revenue or similar stamps of current or new issue in the country in which they have, or will have, a recognised face value; stamp-impressed paper; banknotes; cheque forms; stock, share or bond certificates and similar documents of title (other than Duty Credit Scrips).			
157C.	4908	Transfers (decalcomanias).			
157D.	4909	Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings, messages or announcements, whether or not illustrated, with or without envelopes or trimmings.			
157E.	4910	Calendars of any kind, printed, including calendar blocks.			
157F.	4911	Other printed matter, including printed pictures and photographs; such as Trade advertising material, Commercial catalogues and the like, printed Posters, Commercial catalogues, Printed inlay cards, Pictures, designs and photographs, Plan and drawings for architectural engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes reproduced with the aid of computer or any other devices.";			

(v) after S. No. 398 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"398A	8601	Rail locomotives powered from an external source of electricity or by electric accumulators.	
398B	8602	Other rail locomotives; locomotive tenders; such as Diesel electric locomotives, Steam locomotives and tenders thereof.	
398C	8603	Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, other than those of heading 8604.	

398D	8604	Railway or tramway maintenance or service vehicles, whether or not self-propelled (for example, workshops, cranes, ballast tampers, track liners, testing coaches and track inspection vehicles).		
398E	8605	Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled; luggage vans, post office coaches and other special purpose railway or tramway coaches, not self-propelled (excluding those of heading 8604).		
398F	8606	Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled.		
398G	8607	Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock; such as Bogies, bissel-bogies, axles and wheels, and parts thereof.		
398H	8608	Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including electro-mechanical) signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts of the foregoing.";		

- (vi) against S. No. 447, in column (3), for the entry, the entry "Ball point pens; felt tipped and other porous-tipped pens and markers; fountain pens; stylograph pens and other pens; duplicating stylos; pen holders, pencil holders and similar holders; parts (including caps and clips) of the foregoing articles, other than those of heading 9609.", shall be substituted;
- (d) in Schedule IV -14%, -
- (i) after S. No. 12A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"12B	2202	Carbonated Beverages of Fruit Drink or Carbonated Beverages with Fruit
		Juice.";

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2021.

[F. No. 190354/206/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28thJune, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28thJune, 2017, and was last amended by notification No. 01/2021 – Central Tax (Rate), dated the 2nd June, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 374(E), dated the 2nd June, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 9/2021-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.िन. 694(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 674(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, अनूसूची में, क्रम संख्या 86 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"86.	1209	बीज,फल और बीजाणु, बुवाई के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकार के			
		स्पष्टीकरण: इस प्रविष्टि में बुवाई के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए बीज शामिल नहीं है।";			

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2021 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/206/2021-टी.आर.यू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.िन. 674(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 15/2019-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2019, जिसे सा.का.िन. 712(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 9/2021-Central Tax (Rate)

G.S.R. 694(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.2/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 674(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for S. No. 86 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries thereto shall be substituted, namely: -

"86.	1209	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing			
		Explanation: This entry does not cover seeds meant for any use other than sowing.";			

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2021.

[F. No. 190354/206/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 2/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 674(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 15/2019-Central Tax (Rate) dated the 30th September, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.712(E), dated the 30th September, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 10/2021-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.िन. 695(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 9 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 676 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा. यथा:-

"3क	33012400,	खट्टे फलों के अलावा निम्नलिखित आवश्यक तेल,	कोई	कोई पंजीकृत
	33012510,	यथा:-	अपंजीकृत ———	व्यक्ति ।";
	33012520,	क .पुदीना का (मेंथा पिपेरिटा);	व्यक्ति	
	33012530,	ख. अन्य मिंट का: स्पीयर मिंट तेल (एक्स		
	33012540	मेंथा स्पीकाटा), वाटर मिंट-तेल (एक्स मेंथा एक्वेटिक), हॉरसमिंट तेल (एक्स-		
		मेंथा साइलवेस्ट्रीज), बीरगामेंट तेल		
		(एक्स मेंथा सिटरेट) ।		

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2021 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/206/2021-टी.आर.यू]

राजीव रंजन. अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 4/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.िन. 676(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 11/2018-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 मई, 2018, जिसे सा.का.िन. 504(अ), दिनांक 28 मई, 2018, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 10/2021-Central Tax (Rate)

G.S.R. 695(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.4/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 676(E)., dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, after S. No. 3 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:

" 3A.		Following essential oils other than those of citrus fruit namely: - a) Of peppermint (Mentha piperita); b) Of other mints: Spearmint oil (exmentha spicata), Water mint-oil (exmentha aquatic), Horsemint oil (exmentha sylvestries), Bergament oil (exmentha citrate).	Any Unregistered Person	Any Registered Person.";
-------	--	---	-------------------------------	--------------------------------

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2021.

[F. No. 190354/206/2021-TRU] RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 4/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 676(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by Notification No. 11/2018-Central Tax (Rate) dated 28th May, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 504(E), dated the 28th May, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 11/2021-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.िन. 696(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 9 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 39/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 18 अक्तूबर, 2017, जिसे सा.का.िन. 1310(अ), दिनांक 18 अक्तूबर, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 1 के सामने, -

- (i) कॉलम (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी कार्यक्रम के अधीन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नि: शुल्क वितरण के लिए आशयित और यूनिट अभिधानों में रखा खाद्य निर्मितियां;
 - (ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित आईसीडीएस या इसी तरह की योजना में आपूर्ति लिए फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (प्रीमिक्स)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) कॉलम (4) में, प्रविष्टि में, "खाद्य निर्मितियों" शब्द के लिए, दोनों जगहों पर जहां वे हैं, "माल" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2021 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/206/2021-टी.आर.यू]

राजीव रंजन. अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 39/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 18 अक्तूबर, 2017, को सा.का.िन. 1310(अ), दिनांक 18 अक्तूबर, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 11/2021-Central Tax (Rate)

G.S.R. 696(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 39/2017-Central Tax (Rate), dated the 18th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1310(E), dated the 18th October, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 1,

(i) in column (3), for the entry, the entry "(a) Food preparations put up in unit containers and intended for free distribution to economically weaker sections of the society under a programme duly approved by the Central Government or any State Government;

- (b) Fortified Rice Kernel (Premix) supply for ICDS or similar scheme duly approved by the Central Government or any State Government." shall be substituted;
- (ii) in column (4), in the entry, for the words "food preparations" at both the places, where they occur, the word "goods" shall be substituted;
- 2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2021.

[F. No. 190354/206/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 39/2017-Central Tax (Rate), dated the 18th October, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1310(E), dated the 18th October, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 12/2021-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.िन. 697(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (इस अधिसूचना में इसके बाद जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है), की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनिहत में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वस्तु जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्षक, शीर्षक या अध्याय, जैसी भी स्थित हो के अंतर्गत आती है, को उक्त अधिनिमय की धारा 9 के अंतर्गत उस पर लगाए जाने वाले उतने केन्द्रीय कर से छूट देती है जो की उक्त सारणी के कॉलम (4) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से संगणित राशि से अधिक है, यथा: -

सारणी

क्रम संख्या	अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	30	टोसीलिजुमैब	शून्य
2	30	एम्फोटेरिसिन बी	शून्य
3	30	रेमडेसिविर	2.5%
4	30	हेपरिन (एंटी-कौयगुलांट)	2.5%
5	30	इटोलिजुमाब	2.5%
6	30	पॉसकोनाज़ोल	2.5%
7	30	इनफ्लिक्सिमैब	2.5%
8	30	बामलानिविमाब और एतेसेविमाब	2.5%
9	30	कासिरिविमाब और इम्देवीमाब	2.5%
10	30	2-डिओक्सी-डी-ग्लूकोज	2.5%
11	30	फ़ेविपिराविरि	2.5%

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2021 से लागू होगी और 31 दिसंबर, 2021 तक लागू रहेगी।

[फा. सं. 190354/206/2021-टी.आर.यू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 12/2021-Central Tax (Rate)

G.S.R. 697(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as "the said Act"), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from so much of the central tax leviable thereon under section 9 of the said Act, as is in excess of the amount calculated at the rate as specified in corresponding entry in column (4) of the aforesaid Table, namely:-

Table

Sl. No.	Chapter, Heading, Sub- heading or Tariff item	Description of Goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1	30	Tocilizumab	Nil
2	30	Amphotericin B	Nil
3	30	Remdesivir	2.5%
4	30	Heparin (anti-coagulant)	2.5%
5	30	Itolizumab	2.5%
6	30	Posaconazole	2.5%
7	30	Infliximab	2.5%
8	30	Bamlanivimab & Etesevimab	2.5%
9	30	Casirivimab & Imdevimab	2.5%
10	30	2-Deoxy-D-Glucose	2.5%
11	30	Favipiravir	2.5%

^{2.} This notification shall come into force from the 1st day of October, 2021 and remain in force up to and inclusive of the 31st December, 2021.

[F. No. 190354/206/2021-TRU] RAJEEV RANJAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 8/2021- एकीकृत कर (दर)

सा.का.िन. 698(अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 5 की उप धारा (1) और केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), धारा 15 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 666 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, -

- क. अनुसूची । में 5%,-
- (i) क्रमांक 71 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जाएंगी, यथा: -

"71क	1209	इमली के बीज बुवाई के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए ";

- (ii) क्रमांक 138 से 148 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 186 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा: -

"186क	3826	हाई-स्पीड डीजल के साथ सम्मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों को आपूर्ति किए गए
		बायो-डीजल";

- (iv) क्रमांक 187 क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 234 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;
- (vi) सूची 1 में, मद संख्या 231 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -
- "(232) पेम्ब्रोलिज़ुमाब (कीट्रूडा)";
- (vii) सूची 3 में, मद संख्या (ख) (2) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -
- "(3) दिव्यांगो द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए रेट्रो फिटमेंट किट";
- ख. अनुसूची II में 12%, -
- (i) क्रम संख्या 80क के सामने, कॉलम (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -
- "बायो-डीजल (हाई-स्पीड डीजल के साथ सम्मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों को आपूर्ति किए गए बायो-डीजल के अलावा)";
- (ii) क्रमांक 122 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;
- (iii) क्रमांक 127 से 132 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;
- (iv) क्रमांक 201 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्त: स्थापित किया जाएगा; यथा: -

"201क	84,	85	या	निम्नलिखित अक्षय ऊर्जा उपकरणों और उनके उत्पादन के पुर्जे लिए भागों
	94			का अनुसरण उत्पादन: -
				(क) जैव गैस संयंत्र;
				(ख) सौर ऊर्जा आधारित उपकरण;
				(ग) सौर ऊर्जा जनरेटर;
				(घ) पवन मिलें, पवन संचालित बिजली जेनरेटर
				(डब्ल्यूओईजी);

- (ङ) ऊर्जा संयंत्रों / उपकरणों के लिए अपशिष्ट;
- (च) सौर लालटेन / सौर लैंप;
- (छ) महासागरीय तरंगें/ज्वारीय तरंगें ऊर्जा उपकरण/प्लांट;
- (ज) फोटो वोल्टाइक सेल, मॉड्यूल में असेंबल किया गया है या नहीं या पैनलों में बना है।

स्पष्टीकरण: - यदि इस प्रविष्टि में निर्दिष्ट सामान आपूर्ति किया जाता है, एक आपूर्तिकर्ता द्वारा, अन्य सामानों की आपूर्ति के साथ और सेवाएं, जिनमें से एक विनिर्दिष्ट कर योग्य सेवा है में उल्लिखित तालिका के क्रमांक 38 की प्रविष्टि में अधिसूचना संख्या 8/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 [जी.एस.आर. 683(अ)], के लिए माल की आपूर्ति का मूल्य इस प्रविष्टि के उद्देश्यों को ऐसी सभी आपूर्तियों के लिए प्रभारित सकल प्रतिफल के सत्तर प्रतिशत के रूप में समझा जाएगा और सकल प्रतिफल का शेष तीस प्रतिशत प्रभारित उक्त कर योग्य सेवा के मूल्य के रूप में समझा जाएगा।";

- (v) क्रमांक 205क से 205ज और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;
- (vi) क्रमांक 232 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;
- ग. अनुसूची III में 18%, -
- (i) क्रमांक 26ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्त: स्थापित की जाएंगी, यथा: -

"26ग	2601	लौह अयस्क और कंसन्ट्रेट्स पेस्टेड, भुना हुआ लौह पाइराइट सहित।
26घ	2602	मैंगनीज अयस्कों और कंसन्ट्रेट्स, फेरुजिनस मैंगनीज अयस्कों सहित और 20% या उससे अधिक की मैंगनीज सामग्री के साथ, सूखे वजन पर गणना की जाती है।
26ङ	2603	कॉपर अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26च	2604	निकल अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26छ	2605	कोबाल्ट अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26ज	2606	एल्युमिनियम अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26 झ	2607	सीसा अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26স	2608	जिंक अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26ट	2609	टिन अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26ਂਡ	2610	क्रोमियम अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।";

(ii) क्रम संख्या 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्त: स्थापित की जाएंगी, यथा: -

"101क	3915	प्लास्टिक के अपशिष्ट, परिंग्स और स्क्रैप।";
-------	------	---

(iii) क्रमांक 153ए और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"153क	4819	कागज के कार्टन, बॉक्स, केस, बैग और अन्य पैकिंग कंटेनर, पेपरबोर्ड, सेल्युलोज वैडिंग या
		सेल्यूलोज फाइबर के वेब्स; कार्यालयों, दुकानों या इसी तरह के एक तरह के कागज या
		पेपरबोर्ड की बॉक्स फाइलें, लेटर ट्रे और इसी तरह की वस्तुएं।";

(iv) क्रम संख्या 157 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां को अन्त: स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"157क	4906 00 00	वास्तुकला, इंजीनियरिंग, औद्योगिक, वाणिज्यिक, स्थलाकृतिक या इसी तरह के उद्देश्यों के लिए योजनाएं और चित्रकारी, मूल रूप से हाथ से तैयार किए गए हैं; हस्तलिखित ग्रंथ; संवेदनशील कागज पर फोटोग्राफिक प्रतिकृतियां और पूर्वगामी की कार्बन प्रतियां।
157ख	4907	अप्रयुक्त डाक, राजस्व या देश में मौजूदा या नए मुद्दे के समान टिकट जिसमें उनके पास एक मान्यता प्राप्त अंकित मूल्य है, या होगा; स्टाम्प- प्रभावित कागज; बैंकनोट; जाँच; स्टॉक, शेयर या बांड प्रमाण पत्र और शीर्षक के समान दस्तावेज (ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स के अलावा)।
157ग	4908	स्थानान्तरण (डिकैल्कोमेनिया)।
157घ	4909	मुद्रित या सचित्र पोस्टकार्ड; व्यक्तिगत अभिवादन, संदेश या घोषणाओं वाले मुद्रित कार्ड, चाहे लिफ़ाफ़े या ट्रिमिंग के साथ या बिना सचित्र हों।
157র	4910	कैलेंडर ब्लॉक सहित किसी भी प्रकार के कैलेंडर मुद्रित।
157च	4911	मुद्रित चित्रों और तस्वीरों सिहत अन्य मुद्रित सामग्री; जैसे व्यापार विज्ञापन सामग्री, वाणिज्यिक कैटलॉग और जैसे, मुद्रित पोस्टर, वाणिज्यिक कैटलॉग, मुद्रित इनले कार्ड, चित्र, डिज़ाइनऔर फोटोग्राफ, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, औद्योगिक, वाणिज्यिक, स्थलाकृतिक या इसी तरह के उद्देश्यों के लिए योजना और चित्रकारी कंप्यूटर की सहायता से पुन: प्रस्तुत किए जाते हैं या कोई अन्य उपकरण।";

(v) क्रम संख्या 398 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां को अन्त: स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"398क	8601	बिजली के बाहरी स्रोत से या विद्युत संचायकों द्वारा संचालित रेल लोकोमोटिव।
398ख	8602	अन्य रेल इंजन; लोकोमोटिव निविदाएं; जैसे डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, स्टीम लोकोमोटिव और उसके टेंडर।
398ग	8603	स्व-चालित रेलवे या ट्रामवे कोच, वैन और ट्रक, शीर्ष 8604 के अलावा अन्य।
398घ	8604	रेलवे या ट्रामवे रखरखाव या सेवा वाहन, स्व-चालित या गैर-स्वचालित (उदाहरण के लिए, कार्यशालाएं, क्रेन, गिट्टी टैम्पर, ट्रैक लाइनर, परीक्षण कोच और ट्रैक निरीक्षण वाहन)।
398ਫ਼	8605	रेलवे या ट्रामवे यात्री डिब्बे, स्व-चालित नहीं; लगेज वैन, पोस्ट ऑफिस कोच और अन्य विशेष प्रयोजन रेलवे या ट्रामवे कोच, स्व-चालित नहीं (शीर्षक 8604 को छोड़कर)।

398च	8606	रेलवे या ट्रामवे माल वैन और वैगन, स्व-चालित नहीं।
398छ	8607	रेलवे या ट्रामवे लोकोमोटिव या रोलिंग स्टॉक के हिस्से; जैसे बोगी, बिसेल-बोगी, एक्सल और पहिए, और उसके पुर्जे।
398ज	8608	रेलवे या ट्रामवे ट्रैक जुड़नार और फिटिंग; रेलवे, ट्रामवे, सड़कों, अंतर्देशीय जलमार्ग, पार्किंग सुविधाओं, बंदरगाह प्रतिष्ठानों या हवाई क्षेत्रों के लिए यांत्रिक (इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सहित) सिग्नलिंग, सुरक्षा या यातायात नियंत्रण उपकरण; पूर्वगामी के हिस्से।";

- (vi) क्रम संख्या 447 के सामने, कॉलम (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "बॉल प्वाइंट पेन; फेल्ट टिप्ड और अन्य पोरस-टिप्ड पेन और मार्कर; फाउंटेन पेन, स्टाइलोग्राफ पेन और अन्य पेन; डुप्लिकेटिंग स्टाइलेस; पेन धारक, पेंसिल धारक और समान धारक; पूर्वगामी लेखों के भाग (कैप और क्लिप सिहत), शीर्ष 9609 के अलावा अन्य", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- घ. अनुसूची IV में 28%, -
- (i) क्रमांक 12क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां को अन्त: स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"12ख	2202	फल रस का कार्बोनेटेड बिवरेज या फल रस युक्त कार्बोनेटेड बिवरेज।";
------	------	--

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2021 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/206/2021-टी.आर.यू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.िन. 666(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 01/2021- एकीकृत कर (दर), दिनांक 2 जून, 2021, जिसे सा.का.िन. 375(अ), दिनांक 2 जून, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 8/2021-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 698(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 666(E)., dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (a) in Schedule I 5%, -
- (i) after S. No. 71 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"71A	1209	Tamarind seeds meant for any use other than sowing";

- (ii) S. Nos. 138 to 148 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iii) after S. No. 186 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"186A	3826	Bio-diesel supplied to Oil Marketing Companies for blending with High
		Speed Diesel";

- (iv) S. No. 187A and the entries relating thereto shall be omitted;
- (v) S. No. 234 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (vi) in List 1, after item number 231 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -
- "(232) Pembrolizumab (Keytruda)";
- (vii) in List 3, after item number (B) (2) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -
- "(3) Retro fitment kits for vehicles used by the disabled";
- (b) in Schedule II -12%, -
 - (i) against S. No. 80A, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -
 - "Bio-diesel (other than bio-diesel supplied to Oil Marketing Companies for blending with High Speed Diesel)";
 - (ii) S. No. 122 and the entries relating thereto shall be omitted;
 - (iii) S. Nos. 127 to 132 and the entries relating thereto shall be omitted;
 - (iv) after S. No. 201 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"201A	84, 85 or 94	Following renewable energy devices and parts for their
		manufacture:-
		(a) Bio-gas plant;
		(b) Solar power based devices;
		(c) Solar power generator;
		(d) Wind mills, Wind Operated Electricity Generator
		(WOEG);
		(e) Waste to energy plants / devices;
		(f) Solar lantern / solar lamp;
		(g) Ocean waves/tidal waves energy devices/plants;
		(h) Photo voltaic cells, whether or not assembled in modules
		or made up into panels.
		Explanation:- If the goods specified in this entry are
		supplied, by a supplier, along with supplies of other goods
		and services, one of which being a taxable service specified
		in the entry at S. No. 38 of the Table mentioned in the
		notification No. 8/2017-Integrated Tax (Rate), dated 28 th
		June, 2017 [G.S.R. 683(E)], the value of supply of goods for
		the purposes of this entry shall be deemed as seventy per cent. of the
		gross consideration charged for all such supplies,
		and the remaining thirty per cent. of the gross consideration
		charged shall be deemed as value of the said taxable service.";
	NT 2054 2	0511 141

- (v) S. Nos. 205A to 205H and the entries relating thereto shall be omitted;
- (vi) S. No. 232 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (c) in Schedule III -18%, -

(i) after S. No. 26B and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"26C	2601	Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites.
26D	2602	Manganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more, calculated on the dry weight.
26E	2603	Copper ores and concentrates.
26F	2604	Nickel ores and concentrates.
26G	2605	Cobalt ores and concentrates.
26H	2606	Aluminium ores and concentrates.
26I	2607	Lead ores and concentrates.
26J	2608	Zinc ores and concentrates.
26K	2609	Tin ores and concentrates.
26L	2610	Chromium ores and concentrates.";

(ii) after S. No. 101 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"101A	3915	Waste, Parings and Scrap, of Plastics.";
-------	------	--

(iii) for S. No. 153A and the entries relating thereto, the following S. No. and the entries shall be substituted, namely: -

"153A.	4819	Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, paperboard,
		cellulose wadding or webs of cellulose fibres; box files, letter trays, and similar
		articles, of paper or paperboard of a kind used in offices, shops or the like.";

(iv) after S. No. 157 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: - $\frac{1}{2}$

"157A.	4906 00 00	Plans and drawings for architectural, engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes, being originals drawn by hand; hand-written texts; photographic reproductions on sensitised paper and carbon copies of the foregoing.
157B.	4907	Unused postage, revenue or similar stamps of current or new issue in the country in which they have, or will have, a recognised face value; stamp-impressed paper; banknotes; cheque forms; stock, share or bond certificates and similar documents of title (other than Duty Credit Scrips).
157C.	4908	Transfers (decalcomanias).
157D.	4909	Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings, messages or announcements, whether or not illustrated, with or without envelopes or trimmings.
157E.	4910	Calendars of any kind, printed, including calendar blocks.
157F.	4911	Other printed matter, including printed pictures and photographs; such as Trade advertising material, Commercial catalogues and the like, printed Posters, Commercial catalogues, Printed inlay cards, Pictures, designs and photographs, Plan and drawings for architectural engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes reproduced with the aid of computer or any other devices.";

(v) after S. No. 398 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"398A	8601	Rail locomotives powered from an external source of electricity or by electric accumulators.
398B	8602	Other rail locomotives; locomotive tenders; such as Diesel electric locomotives, Steam locomotives and tenders thereof.
398C	8603	Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, other than those of heading 8604.
398D	8604	Railway or tramway maintenance or service vehicles, whether or not self-propelled (for example, workshops, cranes, ballast tampers, track liners, testing coaches and track inspection vehicles).
398E	8605	Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled; luggage vans, post office coaches and other special purpose railway or tramway coaches, not self-propelled (excluding those of heading 8604).
398F	8606	Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled.
398G	8607	Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock; such as Bogies, bissel-bogies, axles and wheels, and parts thereof.
398H	8608	Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including electro-mechanical) signaling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts of the foregoing.";

- (vi) against S. No. 447, in column (3), for the entry, the entry "Ball point pens; felt tipped and other porous-tipped pens and markers; fountain pens; stylograph pens and other pens; duplicating stylos; pen holders, pencil holders and similar holders; parts (including caps and clips) of the foregoing articles, other than those of heading 9609.", shall be substituted;
- (d) in Schedule IV -28%, -
- (i) after S. No. 12A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"12B	2202	Carbonated Beverages of Fruit Drink or Carbonated Beverages with Fruit
		Juice.";

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2021.

[F. No. 190354/206/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No.1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 666(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended by notification No. 01/2021 – Integrated Tax (Rate), dated the 2nd June, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 375(E), dated the 2nd day of June, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली. 30 सितम्बर. 2021

सं. 9/2021- एकीकृत कर (दर)

सा.का.िन. 699(अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 667(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था. में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है. यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनूसूची में, क्रम संख्या 86 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"86.	1209	बीज,फल और बीजाणु, बुवाई के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकार के
		स्पष्टीकरण: इस प्रविष्टि में बुवाई के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए बीज शामिल नहीं है।";
		₹1,

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2021 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/206/2021-टी.आर.यू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.िन. 667 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 15/2019-एकीकृत कर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2019, जिसे सा.का.िन. 713 (अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 9/2021-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 699(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.2/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), vide number G.S.R. 667(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for S. No. 86 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries thereto shall be substituted, namely: -

"86.	1209	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing
		Explanation: This entry does not cover seeds meant for any use other than sowing.";

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2021.

[F. No. 190354/206/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No.2/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 667(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended vide notification No. 15/2019-Integrated Tax (Rate) dated the 30th September, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 713(E), dated the 30th September, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 10/2021- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 700(अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 5 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 669 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"3क	3301 24 00,	खट्टे फलों के अलावा निम्नलिखित आवश्यक	कोई	कोई पंजीकृत
	3301 25 10,	तेल, यथा:-	अपंजीकृत	व्यक्ति।";
	3301 25 20,	क. पुदीना का (मेंथा पिपेरिटा);	व्यक्ति	
	3301 25 30,	ख. अन्य मिंट का: स्पीयर मिंट तेल (एक्स		
	3301 25 40	मेंथा स्पीकाटा), वाटर मिंट-तेल (एक्स मेंथा एक्वेटिक), हॉरसमिंट तेल (एक्स-मेंथा		
		साइलवेस्ट्रीज), बीरगामेंट तेल (एक्स मेंथा सिटरेट)।		

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2021 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/206/2021-टी.आर.य]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 4/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.िन. 669 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 11/2018-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 मई, 2018, जिसे सा.का.िन. 506(अ), दिनांक 28 मई, 2018, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 10/2021-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 700(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 4/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), vide number G.S.R. 669(E)., dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, after S. No. 3 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:

" 3A.	3301 24 00,	Following essential oils other than those of	•	Any
	3301 25 10,	citrus fruit namely: -	Unregistered	Registered
	3301 25 10,	a) Of peppermint (Mentha piperita);	Person	Person.";
	3301 25 30,	b) Of other mints: Spearmint oil (ex-		
	3301 25 40	mentha spicata), Water mint-oil (ex- mentha aquatic), Horsemint oil (ex- mentha sylvestries), Bergament oil (ex- mentha citrate).		

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2021.

[F. No. 190354/206/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 4/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 669(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by Notification No. 12/2018-Integrated Tax(Rate) dated 28th May, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 506(E), dated the 28th May, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली. 30 सितम्बर. 2021

सं. 11/2021- एकीकृत कर (दर)

सा.का.िन. 701(अ).—एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 40/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 18 अक्तूबर, 2017, जिसे सा.का.िन. 1311 (अ), दिनांक 18 अक्तूबर, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसुचना में, सारणी में, क्रमांक 1 के सामने, -

- (i) कॉलम (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी कार्यक्रम के अधीन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नि: शुल्क वितरण के लिए आशयित और युनिट अभिधानों में रखा खाद्य निर्मितियां;
- (ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित आईसीडीएस या इसी तरह की योजना में आपूर्ति लिए फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (प्रीमिक्स)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) कॉलम (4) में, प्रविष्टि में, "खाद्य निर्मितियों" शब्द के लिए, दोनों जगहों पर जहां वे हैं, "माल" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।;
- 2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2021 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/206/2021-टी.आर.यू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 40/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 18 अक्तूबर, 2017, जिसे सा.का.िन. 1311 (अ), दिनांक 18 अक्तूबर, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 11/2021-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 701(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.40/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 18th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1311(E), dated the 18th October, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 1, -

- (i) in column (3), for the entry, the entry "(a) Food preparations put up in unit containers and intended for free distribution to economically weaker sections of the society under a programme duly approved by the Central Government or any State Government;
- (b) Fortified Rice Kernel (Premix) supply for ICDS or similar scheme duly approved by the Central Government or any State Government." shall be substituted;
- (ii) in column (4), in the entry, for the words "food preparations" at both the places, where they occur, the word "goods" shall be substituted;
- 2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2021.

[F. No. 190354/206/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 40/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 18th October, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1311(E), dated the 18th October, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 12/2021- एकीकृत कर (दर)

सा.का.िन. 702(अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) (इस अधिसूचना में इसके बाद जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है), की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनिहत में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वस्तु जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप-शीर्षक, शीर्षक या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो के अंतर्गत आती है, को उक्त अधिनिमय की धारा 5 के अंतर्गत उस पर लगाए जाने वाले एकीकृत कर से छूट देती है जो की उक्त सारणी के कॉलम (4) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से संगणित राशि से अधिक है, यथा: -

सारणी

क्रम संख्या	अध्याय, शीर्षक, उप- शीर्षक या टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	30	टोसीलिज़ुमैब	शून्य
2	30	एम्फोटेरिसिन बी	शून्य
3	30	रेमडेसिविर	5%
4	30	हेपरिन (एंटी-कौयगुलांट)	5%

5	30	इटोलिज़ुमाब	5%
6	30	पॉसकोनाज़ोल	5%
7	30	इनफ्लिक्सिमैब	5%
8	30	बामलानिविमाब और एतेसेविमाब	5%
9	30	कासिरिविमाब और इम्देवीमाब	5%
10	30	2-डिओक्सी-डी-ग्लूकोज	5%
11	30	फ़ेविपिराविरि	5%

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2021 से लागू होगी और 31 दिसम्बर, 2021 तक लागू रहेगी।

[फा. सं. 190354/206/2021-टी.आर.यू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 12/2021-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 702(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) (hereafter in this notification referred to as "the said Act"), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from so much of the integrated tax leviable thereon under section 5 of the said Act, as is in excess of the amount calculated at the rate as specified in corresponding entry in column (4) of the aforesaid Table, namely:-

Table

Sl. No.	Chapter, Heading, Sub- heading or Tariff item	Description of Goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1	30	Tocilizumab	Nil
2	30	Amphotericin B	Nil
3	30	Remdesivir	5%
4	30	Heparin(anti-coagulant)	5%
5	30	Itolizumab	5%
6	30	Posaconazole,	5%
7	30	Infliximab	5%
8	30	Bamlanivimab & Etesevimab	5%
9	30	Casirivimab & Imdevimab	5%
10	30	2-Deoxy-D-Glucose	5%
11	30	Favipiravir	5%

2. This notification shall come into force from the 1st day of October, 2021 and remain in force up to and inclusive of the 31st December, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 8/2021-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.िन. 703(अ).—संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), की धारा 7 की उप-धारा (1) और केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 710 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में

- क. अनुसूची I में 2.5%,-
- (i) क्रमांक 71 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जाएंगी, यथा: -

"71क	1209	इमली के बीज बुवाई के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए हैं";

- (ii) क्रमांक 138 से 148 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 186 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा: -

"186क	3826	हाई-स्पीड डीजल के साथ सम्मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों को आपूर्ति किए	
		बायो-डीजल";	

- (iv) क्रमांक 187क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 234 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;
- (vi) सूची 1 में, मद संख्या 231 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"(232) पेम्ब्रोलिज़ुमाब (कीट्रूडा)";

- (vii) सूची 3 में, मद संख्या (ख) (2) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -
 - "(3) दिव्यांगो द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए रेट्रो फिटमेंट किट";
- ख. अनुसूची II में 6%, -
- (i) क्रम संख्या 80क के सामने, कॉलम (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"बायो-डीजल (हाई-स्पीड डीजल के साथ सम्मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों को आपूर्ति किए गए बायो-डीजल के अलावा)";

- (ii) क्रमांक 122 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;
- (iii) क्रमांक 127 से 132 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;
- (iv) क्रमांक 201 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्त: स्थापित किया जाएगा: यथा: -

"201क	84, 85 या 94	निम्नलिखित अक्षय ऊर्जा उपकरणों और उनके उत्पादन के पुर्जे लिए भागों
2011	04, 00 41 04	का अनुसरण उत्पादन: -
		(क) जैव गैस संयंत्र;
		(ख) सौर ऊर्जा आधारित उपकरण;
		(ग) सौर ऊर्जा जनरेटर;
		(घ) पवन मिलें, पवन संचालित बिजली जेनरेटर
		(डब्ल्यूओईजी);
		(ङ) ऊर्जा संयंत्रों / उपकरणों के लिए अपशिष्ट;
		(च) सौर लालटेन / सौर लैंप;
		(छ) महासागरीय तरंगें/ज्वारीय तरंगें ऊर्जा उपकरण/प्लांट;
		(ज) फोटो वोल्टाइक सेल, मॉड्यूल में असेंबल किया गया है या नहीं या
		पैनलों में बना है।
		स्पष्टीकरण: - यदि इस प्रविष्टि में निर्दिष्ट सामान आपूर्ति किया जाता है, एक
		आपूर्तिकर्ता द्वारा, अन्य सामानों की आपूर्ति के साथ और सेवाएं, जिनमें से
		एक विनिर्दिष्ट कर योग्य सेवा है में उल्लिखित तालिका के क्रमांक 38 की
		प्रविष्टि में अधिसूचना संख्या 11/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28
		जून, 2017 [जी.एस.आर. 702(अ)], के लिए माल की आपूर्ति का मूल्य इस
		प्रविष्टि के उद्देश्यों को ऐसी सभी आपूर्तियों के लिए प्रभारित सकल प्रतिफल
		के सत्तर प्रतिशत के रूप में समझा जाएगा और सकल प्रतिफल का शेष तीस
		प्रतिशत प्रभारित उक्त कर योग्य सेवा के मूल्य के रूप में समझा जाएगा।";

- (v) क्रमांक 205क से 205ज और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;
- (vi) क्रमांक 232 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;

ग. अनुसूची III में - 9%, -

(i) क्रमांक 26ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्त: स्थापित की जाएंगी, यथा: -

"26ग	2601	लौह अयस्क और कंसन्ट्रेट्स पेस्टेड, भुना हुआ लौह पाइराइट सहित।
26घ	2602	मैंगनीज अयस्कों और कंसन्ट्रेट्स, फेरुजिनस मैंगनीज अयस्कों सहित और 20% या उससे अधिक की मैंगनीज सामग्री के साथ, सूखे वजन पर गणना की जाती है।
26ङ	2603	कॉपर अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26च	2604	निकल अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26छ	2605	कोबाल्ट अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26ज	2606	एल्युमिनियम अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26झ	2607	सीसा अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26ञ	2608	जिंक अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26ਟ	2609	टिन अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26ਂਡ	2610	क्रोमियम अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।";

(ii) क्रम संख्या 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्त: स्थापित की जाएंगी, यथा: -

"101क	3915	प्लास्टिक के अपशिष्ट, परिंग्स और स्क्रैप।";
-------	------	---

(iii) क्रमांक 153ए और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"153क	4819	कागज के कार्टन, बॉक्स, केस, बैग और अन्य पैकिंग कंटेनर, पेपरबोर्ड, सेल्युलोज वैडिंग या
		सेल्यूलोज फाइबर के वेब्स; कार्यालयों, दुकानों या इसी तरह के एक तरह के कागज या
		पेपरबोर्ड की बॉक्स फाइलें, लेटर ट्रे और इसी तरह की वस्तुएं।";

(iv) क्रम संख्या 157 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां को अन्त: स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"157क	4906 00 00	वास्तुकला, इंजीनियरिंग, औद्योगिक, वाणिज्यिक, स्थलाकृतिक या इसी तरह के उद्देश्यों के लिए योजनाएं और चित्रकारी, मूल रूप से हाथ से तैयार किए गए हैं; हस्तलिखित ग्रंथ; संवेदनशील कागज पर फोटोग्राफिक प्रतिकृतियां और पूर्वगामी की कार्बन प्रतियां।
157ख	4907	अप्रयुक्त डाक, राजस्व या देश में मौजूदा या नए मुद्दे के समान टिकट जिसमें उनके पास एक मान्यता प्राप्त अंकित मूल्य है, या होगा; स्टाम्प- प्रभावित कागज; बैंकनोट; जाँच; स्टॉक, शेयर या बांड प्रमाण पत्र और शीर्षक के समान दस्तावेज (ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स के अलावा)।
157ग	4908	स्थानान्तरण (डिकैल्कोमेनिया)।
157घ	4909	मुद्रित या सचित्र पोस्टकार्ड; व्यक्तिगत अभिवादन, संदेश या घोषणाओं वाले मुद्रित कार्ड, चाहे लिफ़ाफ़े या ट्रिमिंग के साथ या बिना सचित्र हों।
157ड़	4910	कैलेंडर ब्लॉक सहित किसी भी प्रकार के कैलेंडर मुद्रित।
157च	4911	मुद्रित चित्रों और तस्वीरों सिहत अन्य मुद्रित सामग्री; जैसे व्यापार विज्ञापन सामग्री, वाणिज्यिक कैटलॉग और जैसे, मुद्रित पोस्टर, वाणिज्यिक कैटलॉग, मुद्रित इनले कार्ड, चित्र, डिज़ाइनऔर फोटोग्राफ, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, औद्योगिक, वाणिज्यिक, स्थलाकृतिक या इसी तरह के उद्देश्यों के लिए योजना और चित्रकारी कंप्यूटर की सहायता से पुन: प्रस्तुत किए जाते हैं या कोई अन्य उपकरण।";

(v) क्रम संख्या 398 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां को अन्त: स्थापित किया जाएगा, यथा: -

•		
"398क	8601	बिजली के बाहरी स्रोत से या विद्युत संचायकों द्वारा संचालित रेल लोकोमोटिव।
398ख	8602	अन्य रेल इंजन; लोकोमोटिव निविदाएं; जैसे डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, स्टीम लोकोमोटिव और उसके टेंडर।
398ग	8603	स्व-चालित रेलवे या ट्रामवे कोच, वैन और ट्रक, शीर्ष 8604 के अलावा अन्य।
398घ	8604	रेलवे या ट्रामवे रखरखाव या सेवा वाहन, स्व-चालित या गैर-स्वचालित (उदाहरण के लिए, कार्यशालाएं, क्रेन, गिट्टी टैम्पर, ट्रैक लाइनर, परीक्षण कोच और ट्रैक निरीक्षण वाहन)।

भारत का राजपत्र : असाधारण

398ड़	8605	रेलवे या ट्रामवे यात्री डिब्बे, स्व-चालित नहीं; लगेज वैन, पोस्ट ऑफिस कोच और अन्य विशेष प्रयोजन रेलवे या ट्रामवे कोच, स्व-चालित नहीं (शीर्षक 8604 को छोड़कर)।
398च	8606	रेलवे या ट्रामवे माल वैन और वैगन, स्व-चालित नहीं।
398छ	8607	रेलवे या ट्रामवे लोकोमोटिव या रोलिंग स्टॉक के हिस्से; जैसे बोगी, बिसेल-बोगी, एक्सल और पहिए, और उसके पुर्जे।
398ज	8608	रेलवे या ट्रामवे ट्रैक जुड़नार और फिटिंग; रेलवे, ट्रामवे, सड़कों, अंतर्देशीय जलमार्ग, पार्किंग सुविधाओं, बंदरगाह प्रतिष्ठानों या हवाई क्षेत्रों के लिए यांत्रिक (इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सहित) सिग्नलिंग, सुरक्षा या यातायात नियंत्रण उपकरण; पूर्वगामी के हिस्से।";

- (vi) क्रम संख्या 447 के सामने, कॉलम (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "बॉल प्वाइंट पेन; फेल्ट टिप्ड और अन्य पोरस-टिप्ड पेन और मार्कर; फाउंटेन पेन, स्टाइलोग्राफ पेन और अन्य पेन; डुप्लिकेटिंग स्टाइलेस; पेन धारक, पेंसिल धारक और समान धारक; पूर्वगामी लेखों के भाग (कैप और क्लिप सहित), शीर्ष 9609 के अलावा अन्य", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- घ. अनुसूची IV में 14%, -
- (i) क्रमांक 12क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां को अन्त: स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"12ख	2202	फल रस का कार्बोनेटेड बिवरेज या फल रस युक्त कार्बोनेटेड बिवरेज ।";
------	------	---

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2021 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/206/2021-टी.आर.यू]

राजीव रंजन. अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.िन. 710(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 01/2021- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 2 जून, 2021, जिसे सा.का.िन. 376(अ), दिनांक 2 जून, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था. के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 8/2021-Union territory Tax (Rate)

G.S.R. 703(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) read with sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 710(E)., dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (a) in Schedule I -2.5%, -
- (i) after S. No. 71 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"71A	1209	Tamarind seeds meant for any use other than sowing";

- (ii) S. Nos. 138 to 148 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iii) after S. No. 186 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"186A	3826	Bio-diesel supplied to Oil Marketing Companies for blending with High
		Speed Diesel";

- (iv) S. No. 187A and the entries relating thereto shall be omitted;
- (v) S. No. 234 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (vi) in List 1, after item number 231 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -
 - "(232) Pembrolizumab (Keytruda)";
- (vii) in List 3, after item number (B) (2) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -
 - "(3) Retro fitment kits for vehicles used by the disabled";
- (b) in Schedule II -6%, -
- (i) against S. No. 80A, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -

"Bio-diesel (other than bio-diesel supplied to Oil Marketing Companies for blending with High Speed Diesel)";

- (ii) S. No. 122 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iii) S. Nos. 127 to 132 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iv) after S. No. 201 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"201 A	04 05 00 04	Following noneyyable anemy devices and news for their
"201A	84, 85 or 94	Following renewable energy devices and parts for their
		manufacture:-
		(a) Bio-gas plant;
		(b) Solar power based devices;
		(c) Solar power generator;
		(d) Wind mills, Wind Operated Electricity Generator
		(WOEG);
		(e) Waste to energy plants / devices;
		(f) Solar lantern / solar lamp;
		(g) Ocean waves/tidal waves energy devices/plants;
		(h) Photo voltaic cells, whether or not assembled in modules
		or made up into panels.
		Explanation:- If the goods specified in this entry are supplied, by a supplier, along with supplies of other goods and services, one of which being a taxable service specified in the entry at S. No. 38 of the Table mentioned in the notification No. 11/2017-Union territory Tax (Rate), dated 28 th June, 2017 [G.S.R. 702(E)], the value of supply of goods for the purposes of this entry shall be deemed as seventy per cent. of the gross consideration charged for all such supplies, and the remaining thirty per cent. of the gross consideration charged shall be deemed as value of the said taxable service.";

- (v) S. Nos. 205A to 205H and the entries relating thereto shall be omitted;
- (vi) S. No. 232 and the entries relating thereto shall be omitted;

- (c) in Schedule III 9%, -
- (i) after S. No. 26B and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"26C	2601	Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites.	
26D	2602	Manganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more, calculated on the dry weight.	
26E	2603	Copper ores and concentrates.	
26F	2604	Nickel ores and concentrates.	
26G	2605	Cobalt ores and concentrates.	
26H	2606	Aluminium ores and concentrates.	
26I	2607	Lead ores and concentrates.	
26J	2608	Zinc ores and concentrates.	
26K	2609	Tin ores and concentrates.	
26L	2610	Chromium ores and concentrates.";	

(ii) after S. No. 101 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"101A	3915	Waste, Parings and Scrap, of Plastics.";
-------	------	--

(iii) for S. No. 153A and the entries relating thereto, the following S. No. and the entries shall be substituted, namely: \cdot

"153A.	4819	Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, paperboard,
		cellulose wadding or webs of cellulose fibres; box files, letter trays, and similar
		articles, of paper or paperboard of a kind used in offices, shops or the like.";

(iv) after S. No. 157 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"157A.	4906 00 00	Plans and drawings for architectural, engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes, being originals drawn by hand; hand-written texts; photographic reproductions on sensitised paper and carbon copies of the foregoing.
157B.	4907	Unused postage, revenue or similar stamps of current or new issue in the country in which they have, or will have, a recognised face value; stamp-impressed paper; banknotes; cheque forms; stock, share or bond certificates and similar documents of title (other than Duty Credit Scrips).
157C.	4908	Transfers (decalcomanias).
157D.	4909	Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings, messages or announcements, whether or not illustrated, with or without envelopes or trimmings.
157E.	4910	Calendars of any kind, printed, including calendar blocks.
157F.	4911	Other printed matter, including printed pictures and photographs; such as Trade advertising material, Commercial catalogues and the like, printed Posters, Commercial catalogues, Printed inlay cards, Pictures, designs and photographs, Plan and drawings for architectural engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes reproduced with the aid of computer or any other devices.";

(v) after S. No. 398 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"398A	8601	Rail locomotives powered from an external source of electricity or by electric accumulators.
398B	8602	Other rail locomotives; locomotive tenders; such as Diesel electric locomotives, Steam locomotives and tenders thereof.
398C	8603	Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, other than those of heading 8604.
398D	8604	Railway or tramway maintenance or service vehicles, whether or not self-propelled (for example, workshops, cranes, ballast tampers, track liners, testing coaches and track inspection vehicles).
398E	8605	Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled; luggage vans, post office coaches and other special purpose railway or tramway coaches, not self-propelled (excluding those of heading 8604).
398F	8606	Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled.
398G	8607	Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock; such as Bogies, bissel-bogies, axles and wheels, and parts thereof.
398H	8608	Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including electro-mechanical) signaling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts of the foregoing.";

- (vi) against S. No. 447, in column (3), for the entry, the entry "Ball point pens; felt tipped and other porous-tipped pens and markers; fountain pens; stylograph pens and other pens; duplicating stylos; pen holders, pencil holders and similar holders; parts (including caps and clips) of the foregoing articles, other than those of heading 9609.", shall be substituted;
- (d) in Schedule IV -14%, -
- (i) after S. No. 12A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"12B	2202	Carbonated Beverages of Fruit Drink or Carbonated Beverages with Fruit
		Juice.";

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2021.

[F. No. 190354/206/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: - The principal notification No.1/2017-Union territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 710(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended by notification No. 01/2021 – Union territory Tax (Rate), dated the 2nd June, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) vide number G.S.R. 376(E), dated the 2nd June, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 9/2021-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.िन. 704(अ).—संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), की धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 711(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, अनूसूची में, क्रम संख्या 86 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"86.	1209	बीज,फल और बीजाणु, बुवाई के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकार के
		स्पष्टीकरण: इस प्रविष्टि में बुवाई के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए बीज शामिल नहीं है।";

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2021 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/206/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.िन. 711 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 15/2019-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2019, जिसे सा.का.िन. 714 (अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 9/2021-Union territory Tax (Rate)

G.S.R. 704(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.2/2017-Union territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), vide number G.S.R. 711(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for S. No. 86 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries thereto shall be substituted, namely: -

"86.	1209	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing			
		Explanation: This entry does not cover seeds meant for any use other than sowing.";			

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2021.

[F. No.190354/206/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No.2/2017- Union territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 711(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended vide notification No. 15/2019-Union territory Tax (Rate) dated the 30th September, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 714(E), dated the 30th September, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 10/2021-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 705(अ).—संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), की धारा 7 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 713 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"3क	3301 24 00,	खट्टे फलों के अलावा निम्नलिखित आवश्यक तेल,	कोई	कोई पंजीकृत
	3301 25 10,	यथा:-	अपंजीकृत	व्यक्ति।";
	3301 25 20,	क. पुदीना का (मेंथा पिपेरिटा);	व्यक्ति	
	3301 25 30,	ख. अन्य मिंट का: स्पीयर मिंट तेल (एक्स मेंथा		
	3301 25 40	स्पीकाटा), वाटर मिंट-तेल (एक्स मेंथा एक्वेटिक), हॉरसमिंट तेल (एक्स-मेंथा		
		साइलवेस्ट्रीज), बीरगामेंट तेल (एक्स मेंथा		
		सिटरेट) ।		

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2021 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/206/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 4/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.िन. 713 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 11/2018-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 मई, 2018, जिसे सा.का.िन. 505(अ), दिनांक 28 मई, 2018, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 10/2021-Union territory Tax (Rate)

G.S.R. 705(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 4/2017- Union territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), vide number G.S.R. 713(E)., dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, after S. No. 3 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2021.

" 3A.	33012400,	Following essential oils other than those of citrus	Any	Any
3A.	33012400, 33012510, 33012520, 33012530, 33012540	fruit namely: - a) Of peppermint (Mentha piperita); b) Of other mints: Spearmint oil (ex-mentha spicata), Water mint-oil (ex-mentha aquatic), Horsemint oil (ex-mentha sylvestries), Bergament oil (ex-mentha	Unregistered Person	Registered Person.";
		citrate).		

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2021.

[F. No.190354/206/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 4/2017- Union territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 713(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by Notification No. 11/2018- Union territory Tax(Rate) dated 28th May, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 505(E), dated the 28th May, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 11/2021-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 706(अ).—संघ राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), की धारा 7 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 39/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 18 अक्टूबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1312 (अ), दिनांक 18 अक्टूबर, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसुचना में, सारणी में, क्रमांक 1 के सामने, -

(i) कॉलम (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी कार्यक्रम के अधीन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नि: शुल्क वितरण के लिए आशयित और यनिट अभिधानों में रखा खाद्य निर्मितियां:

- (ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित आईसीडीएस या इसी तरह की योजना में आपूर्ति लिए फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (प्रीमिक्स)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) कॉलम (4) में, प्रविष्टि में, "खाद्य निर्मितियों" शब्द के लिए, दोनों जगहों पर जहां वे हैं, "माल" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।;
- 2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2021 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/206/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन. अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 39/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 18 अक्टूबर, 2017, जिसे सा.का.िन. 1312(अ), दिनांक 18 अक्तूबर, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 11/2021- Union territory Tax (Rate)

G.S.R. 706(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.39/2017-Union territory Tax (Rate), dated the 18th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1312(E), dated the 18th October, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 1, -

- (i) in column (3), for the entry, the entry "(a) Food preparations put up in unit containers and intended for free distribution to economically weaker sections of the society under a programme duly approved by the Central Government or any State Government;
- (b) Fortified Rice Kernel (Premix) supply for ICDS or similar scheme duly approved by the Central Government or any State Government." shall be substituted;
- (ii) in column (4), in the entry, for the words "food preparations" at both the places, where they occur, the word "goods" shall be substituted;
- 2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2021.

[F. No.190354/206/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 39/2017-Union territory Tax (Rate), dated the 18th October, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1312(E), dated the 18th October, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 12/2021-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 707(अ).—संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) (इस अधिसूचना में इसके बाद जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है), की धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनिहत में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वस्तु जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्षक, शीर्षक या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो के अंतर्गत आती है, को उक्त अधिनिमय की धारा 7 के अंतर्गत उस पर लगाए जाने वाले संघ राज्य कर से छूट देती है जो की उक्त सारणी के कॉलम (4) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से संगणित राशि से अधिक है, यथा: -

सारणी

क्रम संख्या	अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	30	टोसीलिज़ुमैब	शून्य
2	30	एम्फोटेरिसिन बी	शून्य
3	30	रेमडेसिविर	2.5%
4	30	हेपरिन (एंटी-कौयगुलांट)	2.5%
5	30	इटोलिज़ुमाब	2.5%
6	30	पॉसकोनाज़ोल	2.5%
7	30	इनफ्लिक्सिमैब	2.5%
8	30	बामलानिविमाब और एतेसेविमाब	2.5%
9	30	कासिरिविमाब और इम्देवीमाब	2.5%
10	30	2-डिओक्सी-डी-ग्लूकोज	2.5%
11	30	फ़ेविपिराविरि	2.5%

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2021 से लागू होगी और 31 दिसम्बर, 2021 तक लागू रहेगी।

[फा. सं. 190354/206/2021-टी.आर.यू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 12/2021-Union territory Tax (Rate)

G.S.R. 707(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) (hereafter in this notification referred to as "the said Act"), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from so much of the Union territory tax leviable thereon under section 7 of

the said Act, as is in excess of the amount calculated at the rate as specified in corresponding entry in column (4) of the aforesaid Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Chapter, Heading, Sub- heading or Tariff item	Description of Goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1	30	Tocilizumab	Nil
2	30	Amphotericin B	Nil
3	30	Remdesivir	2.5%
4	30	Heparin(anti-coagulant)	2.5%
5	30	Itolizumab	2.5%
6	30	Posaconazole,	2.5%
7	30	Infliximab	2.5%
8	30	Bamlanivimab & Etesevimab	2.5%
9	30	Casirivimab & Imdevimab	2.5%
10	30	2-Deoxy-D-Glucose	2.5%
11	30	Favipiravir	2.5%

2. This notification shall come into force from the 1st day of October, 2021 and remain in force up to and inclusive of the 31st December, 2021.

[F. No. 190354/206/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 46/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 708(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त् मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड. (i) में प्रकाशित किया गया था, में, एतद्वारा, और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) सारणी में, क्रम संख्या 607 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"607.	9804	निम्नलिखित वस्तुएं, जो कि निजी उपयोग के लिए आयातित की गई हो, यथा:-			

(क) जीवनरक्षक औषधियां या दवाएं (जिसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट्स किट्स भी आते हैं), जो कि सूची 4 में विनिर्दिष्ट हों;	शून्य	-	-
(ख) जीवनरक्षक अन्य औषधियां या दवाएं,	शून्य	-	16
(ग) जीवनरक्षक दवाएं जिनका उपयोग स्पाइनल मसक्कुलर एट्रोफि या डचेन मसक्कुलर डिस्ट्रोफी के उपचार में होता हो, यथा: -	शून्य	शून्य	16";
(i) ज़ोल्गेन्स्मा (ओनासेमनोजीन अबेपारवोवेक)			
(ii) विल्टेप्सो (विल्टोलरसेन)			
(iii) अन्य औषधियां जिनका उपयोग उक्त बीमारियों के उपचार में होता हो ।			

(ख) अनुबंध में, शर्त संख्या 16 के स्थान पर निम्नलिखित शर्त को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(ख) अनुबंध	म, शत सख्या 10 क स्थान पर निम्नालाखत शत का प्रातस्थापित किया जाएगा, यथा:-
"16.	यदि,-
	(क) ऐसे माल का आयात किसी व्यक्ति द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए किया जाता हो;
	(ख) यथा लागू और नीचे विनिर्दिष्ट फार्म में महानिदेशक या उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली, निदेशक, राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं या जिला चिकित्सा अधिकारी/जिले के सिविल सर्जन, प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में, यह प्रमाणित करें
	(1) उक्त सारणी के क्रम संख्या 607 के उपवाक्य (ग) के उप उपवाक्य (iii) के दायरे में आने वाले स्पाइनल मसक्कुलर एट्रोफि या डचेन मसक्कुलर डिस्ट्रोफी के उपचार में प्रयोग की जाने वाली दवाओं से संबंधित फार्म
	(वर्ष) का प्रमाणपत्र संख्या
	प्रमाणित किया जाता है कि(रोगी का नाम) के उपचार में प्रयोग की जाने वाली दवा(दवा का नाम) एक जीवनरक्षक दवा है और इसका प्रयोग विशेष रूप से स्पाइनल मसक्कुलर एट्रोफि या डचेन मसक्कुलर एट्रोफि के उपचार में किया जाता है और इस पर सीमाशुल्क तथा एकीकृत जीएसटी के भुगतान से छूट दिए जाने की सिफारिश की जाती है।
	महानिदेशक/
	उप महानिदेशक/
	सहायक महानिदेशक,
	स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली, या
	निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं या
	जिला चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन
	की मुहर तथा तारीख
	ग

(2) उन जीवनरक्षक औषधियों या दवाओं से संबंधित फार्म जो कि ऊपर (1) के दायरे में नहीं आती हैं और जिनका आयात उक्त सारणी के क्रम संख्या 607 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत किया जा रहा हो ।
> महानिदेशक/ उप महानिदेशक/ सहायक महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली, या निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं या जिला चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन की मुहर तथा तारीख

और

- (ग) आयातकर्ता उक्त प्रमाणपत्र को क्लीयरेंस के समय उप आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो के समक्ष प्रस्तुत करता हो या इस बात की अंडरटेकिंग, जैसा कि उप आयुक्त या सहायक आयुक्त को स्वीकार्य हो, देता हो कि वह ऐसी अविध के भीतर जिसे उक्त उप आयुक्त या सहायक आयुक्त विनिर्दिष्ट करे, उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देगा और ऐसा न हो पाने पर वह लगाए गए शुल्क का भुगतान कर देगा।
- (ii) शर्त संख्या 102 के अंदर, मद (iv) के पश्चात, निम्नलिखित परन्तुक और स्पष्टीकरण को अंत:स्थापित किया जाएगा,यथा:-

'बशर्ते कि ऊपर (iii) में दी गई शर्त के अनुसार माल का भारत से बाहर पुन:निर्यात किए जाने के बजाय इसे पट्टाकर्त्ता भारत में ही किसी दूसरे पट्टाधारक को केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की अनुसूची II के मद 1(ख) और 5(च) के दायरे में आने वाले किसी संव्यवहार के अंतर्गत पट्टे पर दे सकता है और इस मामले में, --

- (क) मूल पट्टाधारी आयुक्त, सीमाशुल्क को इसकी जानकारी देगा और अपने बान्ड को डिस्चार्ड करा लेगा;
- (ख) इस प्रकार नया पट्टाधारी ऐसे फार्म में और राशि का, जिसे आयुक्त, सीमाशुल्क विनिर्दिष्ट करे, बान्ड भरकर एतश्मिन उल्लिखित शर्तों के अनुसार स्वयं को इस प्रकार बंध करेगा जैसे कि वह ऐसे माल का आयात करता ही हो ।

बशर्ते और भी कि यदि माल की आपूर्ति किसी एस.ई.जेड. यूनिट के द्वारा डी.टी.ए. को केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की अनुसूची II के मद 1(ख) या 5(च) के दायरे में आने वाले किसी संव्यवहार के अंतर्गत करता हो और जहां ऐसी एस.ई.जेड. इकाई केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत ऐसे संव्यवहार के लिए एकीकृत कर का भुगतान करने के लिए दायी हो तो ऐसा पट्टाधारी केवल उपर्युक्त (ii), (iii) और (iv) की शर्तों के प्रति ही अपने को बंधक रखेगा।

स्पष्टीकरण:- यदि किसी एस.ई.जेड. इकाई (पट्टाकर्ता) के द्वारा डी.टी.ए. को माल की आपूर्ति केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की अनुसूची II के मद 1(ख) या 5(च) के दायरे में आने वाले संव्यवहार के अंतर्गत किया जाता हो तो- (क) "आयुक्त, सीमाशुल्क" या "सीमाशुल्क आयुक्त, आयात पत्तन" से अभिप्राय ऐसे "विशिष्ट अधिकारी" से होगा जो कि विशेष आर्थिक जोन नियमावली. 2006 के अंतर्गत परिभाषित हो:

- (ख) मद (iii) में उल्लिखित "पुन:निर्यात" का अभिप्राय माल का पट्टाकर्त्ता को वापस करने से है।
- 2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2021 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/206/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.िन. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 44/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 17 सितम्बर, 2021, जिसे सा.का.िन. 640 (अ), दिनांक 17 सितम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 46/2021-Customs

G.S.R. 708(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(a) in the TABLE, for S. No. 607 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"607.	9804	The following goods, imported for personal use, namely: -			
		(a) the life saving drugs or medicines (including diagnostic test kits) specified in List 4;	Nil	-	-
		(b) other life saving drugs or medicines,	Nil	-	16
		(c) life saving medicines for treatment of Spinal Muscular Atrophy or Duchenne Muscular Dystrophy, namely-	Nil	Nil	16";
		(i) Zolgensma (Onasemnogene Abeparvovec)			
		(ii) Viltepso (Viltolarsen)			
		(iii) any other medicine for treatment of the said diseases			

- (b) In the Annexure, -
- (i) for Condition No. 16, the following condition shall be substituted, namely: -

"1	6.		T	f	
- 1	v.			Ι.	١

- (a) the goods are imported by an individual for personal use;
- (b) it is certified in the Form as applicable and specified below, by the Director General or Deputy Director General or Assistant Director General, Health Services, New Delhi, Director of Health Services of the State Government or the District Medical Officer/Civil Surgeon of the district, in each individual case
- (1) Form for medicines used for treatment of Spinal Muscular Atrophy/ Duchenne Muscular Atrophy covered under sub-clause(iii) of clause (c) of S. No.607 of the Table.

Certificate No..... of (year)

Signature with date of Director General /

Deputy Director General /

Assistant Director General,

Health Services, New Delhi or

Director of Health Services or

District Medical Officer/Civil Surgeon.

or

(2) Form for life saving drugs or medicines, not covered under (1) above, being imported under clause (b) of S. No. 607 of the Table.

Certificate No..... of (year)

Certified that the drug / medicine........................(name of the drug / medicine) to be used for the treatment of(patient name), is a life saving drug / medicine for.........................(disease name) and exemption from the payment of customs duty is recommended.

Signature with date of Director General /

Deputy Director General /

Assistant Director General,

Health Services, New Delhi or

Director of Health Services or

District Medical Officer/Civil Surgeon.

and

(c) the importer produces the said certificate to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at the time of clearance, or gives an undertaking as acceptable to the Deputy Commissioner or the Assistant Commissioner to furnish the said certificate within such period as may be specified by the Deputy Commissioner or the Assistant Commissioner, failing which to pay duty leviable thereon.

- (ii) in Condition No. 102, after item (iv), the following provisos and Explanation shall be inserted, namely: -
- 'Provided that goods may, instead of being re-exported out of India in terms of condition at (iii) above, be given on lease under a transaction covered by item 1(b) or 5 (f) of Schedule II of the Central Goods and Service Tax Act 2017, by lessor to another lessee in India, in which case, -
- (a) the original lessee shall give an intimation to the commissioner of customs and get his bond discharged;
- (b) the new lessee shall, by execution of bond, in such form and for such sum, as may be specified by the Commissioner of Customs, bind himself to comply with the conditions herein, as if he were the importer of the goods.

Provided further that in case of goods supplied by an SEZ unit to DTA under a transaction covered by item 1(b) or 5(f) of Schedule II of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, where SEZ unit is liable to pay integrated tax on such transaction under the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, the lessee shall bind himself only with conditions (ii), (iii) and (iv) above.

Explanation. - In case of goods supplied by an SEZ unit (lessor) to DTA under a transaction covered by item 1(b) or 5(f) of Schedule II of the Central Goods and Services Act, 2017, -

- (a) the "Commissioner of Customs" or the "Commissioner of Customs of the port of importation", wherever they appear, shall mean "the Specified Officer" as defined in Special Economic Zone Rules, 2006;
- (b) "Re-export" in item (iii) shall mean returning the goods to the lessor.'.
- 2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2021.

[F. No. 190354/206/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No.50/2017-Customs, dated the 30th day of June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 785(E), dated the 30th day of June, 2017, and last amended vide notification No. 44/2021-Customs, dated the 17th day of September, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 640(E)., dated the 17th day of September, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली. 30 सितम्बर. 2021

सं. 47/2021-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 709(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतिश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की धारा 3 की उप-धारा (12) के तहत प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं में उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा तक संशोधन करती है; यथा: -

क्र.सं.	अधिसूचना का नाम तथा तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1	अधिसूचना संख्या 90/2009- सीमाशुल्क, दिनांक 7 सितम्बर, 2009 [सा.का.नि. 644 (अ), दिनांक 7 सितम्बर, 2009]	उक्त अधिसूचना में, - (i) शब्द, अंक और कोष्ठक "सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1)", के पश्चात, शब्द अंक और कोष्ठक, "और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (12)" को अंत:स्थापित किया जाएगा;

		(ii)	शब्द और अंक "उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से", के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक, "उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (7) के अंतर्गत उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण एकीकृत कर से" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2	अधिसूचना संख्या 60/2011- सीमाशुल्क, दिनांक 14 जुलाई, 2011 [सा.का.नि. 536 (अ), दिनांक 14 जुलाई, 2011]	उक्त अ (i)	धिसूचना में, - शब्द, अंक और कोष्ठक "सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1)", के पश्चात, शब्द अंक और कोष्ठक, "और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (12)" को अंत:स्थापित किया जाएगा;
		(ii)	शब्द, अंक और कोष्ठक "सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण सीमाशुल्क से", के पश्चात शब्द, अंक और कोष्ठक, "और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (7) के अंतर्गत उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण एकीकृत कर से" को अंत:स्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 190354/206/2021-टीआरय]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 60/2011-सीमाशुल्क, दिनांक 14 जुलाई, 2011 को सा.का.िन. 536 (अ), दिनांक 14 जुलाई, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 73/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 18 अगस्त, 2017, जिसे सा.का.िन. 1030(अ), दिनांक 18 अगस्त, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था. के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 47/2021-Customs

G.S.R. 709(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby amends the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) specified in column (2) of the Table below, to the extent specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Notification Name and Date	Amendments		
(1)	(2)	(3)		
1.	Notification No. 90/2009-Customs, dated the 7 th September, 2009 [G.S.R. 644(E), dated the 7 th September, 2009]	In the said notification, - (i) after the words, brackets and figures "subsection (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962)", the words, brackets and figures, "and sub-section (12) of section 3 of		

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 45

		Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)" shall be inserted; (ii) for the words and figures "from the whole of the additional duties leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act", the words, brackets and figures, "from the whole of the integrated tax leviable thereon under sub-section (7) of section 3 of the said Customs Tariff Act" shall be substituted.
2.	Notification No. 60/2011-Customs, dated the 14 th July, 2011 [G.S.R. 536(E), dated the 14 th July, 2011]	 (i) after the words, brackets and figures "subsection (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962)", the words, brackets and figures "and sub-section (12) of section 3 of Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)" shall be inserted; (ii) after the words, figures and brackets "from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)", the words, brackets and figures "and from the whole of the integrated tax leviable thereon under sub-section (7) of section 3 of the said Customs Tariff Act" shall be inserted.

[F. No. 190354/206/2021-TRU] RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 60/2011-Customs, dated the 14th July, 2011 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 536(E), dated the 14th July, 2011 and last amended, vide notification No. 73/2017-Customs, dated the 18th August, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1030(E), dated the 18th August, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 1/2021-प्रतिपूर्ति उपकर (दर)

सा.का.नि. 710(अ).—माल एवं सेवाकर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 8 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-प्रतिपूर्ति उपकर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 720(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रमांक 4क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, यथा: -

"4ख	2202	फल रस का कार्बोनेटेड बिवरेज या फल रस युक्त कार्बोनेटेड बिवरेज	12%";
-----	------	---	-------

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर 2021 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/206/2021-टीआरय]

राजीव रंजन. अवर सचिव

नोटः प्रधान अधिसूचना सं. 1/2017- प्रतिपूर्ति उपकर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.िन. 720 (अ) दिनाँक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 2/2019- प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनाँक 30 सितम्बर, 2019, जिसे सा.का.िन. 707 (अ), दिनाँक 30 सितम्बर, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 1 / 2021-Compensation Cess (Rate)

G.S.R. 710(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2017-Compensation Cess (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), vide number G.S.R. 720(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Schedule, after S. No. 4A and the entries relating thereto, the following S. No. and the entries shall be inserted, namely: -

"4B 2202 Carbonated Beverages of Fruit Drink or Carbonated Beverages with Fruit 12% Juice.	"4B
--	-----

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2021.

[F. No.190354/206/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No.1/2017-Compensation Cess (Rate) dated the 28th day of June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 720(E), dated the 28th day of June, 2017, and was last amended vide notification No. 2/2019-Compensation Cess (Rate), dated the 30th day of September, 2019, published vide number G.S.R.707(E), dated the 30th day of September, 2019.